(c) The number of quarters proposed to be constructed is as under:—

	Type A	Type B	Type C
Shillong .	20	32	24
Kohima . .	8	16	40
Agartala . .	40	12	16
Imphal . .	4	16	16

Distribution of Surplus Land to Landless Agricultural Labours

1168. PROF. RUPCHAND PAL: Will the Minister of RURAL RECONSTRUCTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a recent study of the Planning Commission has revealed that very small amount of the land identified as surplus has so far been distributed to the landless agricultural labours in various States; and

(b) if so, the details of the surplus land identified and distributed in each State?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION (SHRI BALESHWAR RAM): (a) The Sixth Five Year Plan, 1980-85, published by the Planning Commission refers to the distribution of only 6.79 lakh hectares (16.98 lakh acres) of ceiling surplus land out of about 15.74 lakh hectares (39.35 lakh acres) declared surplus.

(b) A statement is attached.

Statement

(Area in acres)

State/Union Territory	Area declared surplus under revised Ceiling laws	Area distributed under revised ceiling laws
1	2	3
Andhra Pradesh.	9,80,767	3,00,703
Assam	5,80,140	3,16,784
Bihar	2,31,618	1,37,003
Gujarat	1,17,906	5,190
Haryana	27,355	17,956
Himachal Pradesh	1,35,915	3,417
Jammu & Kashmir	..	..
Karnataka	1,36,321	52,477
Kerala	1,18,272	52,311
Madhya Pradesh	2,53,039	78,749
Maharashtra	3,70,193	2,81,586
Manipur	1,029	—

1	2	3
Orissa	1,40,505	1,00,931
Punjab	49,324	12,511
Rajasthan	2,46,495	1,22,230
Tamil Nadu	78,149	56,934
Tripura	1,929	947
Uttar Pradesh	2,80,874	2,30,183
West Bengal	1,52,658	56,542
Dadra & Nagar Haveli	8,958	3,406
Delhi	780	
Pondicherry	2,527	837
	39,14,754	18,30,697

रोहिणी योजना के अंतर्गत अधिग्रहण की गई जमीन के मुआवजा का भुगतान

1169. श्री फूल चन्द वर्मा : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रोहिणी योजना के अन्तर्गत अधिग्रहण की गई जमीन के लिए किसानों को 2.40 रुपये प्रति गज की दर से मुआवजा दिया गया था ;

(ख) क्या उपर्युक्त गांव की ही जमीन विकास करने के बाद नीलामी में 1300.00 रुपये प्रति गज की दर से बेची गई ;

(ग) यदि हां, तो मूल्यों में इतने अन्तर के क्या कारण हैं ;

(घ) कृषि योग्य भूमि का आवासीय भूमि में विकास करने पर क्या खर्च आता है ;

(ङ) उपर्युक्त दर से दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कितना मुनाफा कमाया ; और

(च) तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) रोहिणी योजना के अन्तर्गत भूमि का अभी भी विकास किया जा रहा है और अब तक इस में से कुछ भी नहीं बेचा गया है ।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) विकास कार्य पूरी तरह से अभी तक आरम्भ नहीं किया गया है ।

(ङ) तथा (च). उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।